

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 750

दिनांक :— 25.10.2018

आदेश संख्या:— २४०/२०१८-१९

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रॉल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रॉल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के समुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार/ समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजेन्द्र कुमार महावर	17/89	1864	04.04.1991	04.04.2018	
2.	अमीलाल जाटव	24/89	9087	11.02.1991	11.02.2018	
3.	बेनीमाधव परिहार	79/89	8761	11.02.1991	11.02.2018	
4.	प्रभुलाल सुनारिया	225/89	4857	11.02.1991	11.02.2018	
5.	लालचन्द बलाई	231/89	3848	11.02.1991	11.02.2018	
6.	सुग्गाराम	337/89	5234	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
7.	जयसिंह	349/89	8431	06.09.1991	06.09.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
8.	महादेव राव	363/89	3919	26.08.1991	26.08.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
9.	कानाराम परमार	365/89	8461	24.06.1991	24.06.2018	
10.	मांगीलाल मेघवाल	389/89	3922	24.06.1991	24.06.2018	


उपरोक्त क्रम संख्या 5,6 एवं 8 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

- पुरीकृत वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

Acp order

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से
की जावे।



(मंगल वामी)
निदेशक

दिनांक :- २५-१०-२०१८

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ ७५०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1.....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग


(अरविन्द दीवानी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)